B- IV
L - 12
Economy.

लोक वित्त (Public Finance)

सरकारी वित्त को लोक वित्त कहते हैं इस क्षेत्र में चर्चा के मुख्य विषय निम्न होते हैं -

(i) सरकारी प्राप्तियाँ
(ii) सरकारी खर्च
(iii) सरकारी ऋण
(iv) केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बंध आदि।

सरकारी प्राप्तियाँ :-

यदि सरकार को किसी भी स्त्रोत से आय प्राप्त होती है तो इसे सरकारी प्राप्ति कहते हैं इन्हे दो भागों मे बांटा जा सकता है -

(i) राजस्व प्राप्तियों
(ii) पूँजीगत प्राप्तियों

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts) :-

सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिसे प्राप्त करने के लिए न तो सार्वजनिक संपत्तियों (Public Assets) को कम करना पड़े और न ही सार्वजनिक देयताओं (Public Liabilities) को बढ़ाना पड़े तो इस प्रकार की आय को राजस्व प्राप्तियाँ कहते हैं।

Liabilities	Assets
House Loan – ₹2 करोड़	House – 2 करोड़

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

राजस्व प्राप्तियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है –

1- कर राजस्व (Tax Revenue) :-

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त समस्त आय।

कर एक अनिवार्य भुगतान होता है जो लोगों को राज्य को देना पड़ता है इसके बदले में राज्य को कोई वस्तु या सेवा कर-दाता को देने की आवश्यकता होती है और न ही उसे वापस लौटना होता है।

इस प्रकार,
कर एक (Unilateral transfer) एकतरफा स्थानांतरण होता है

(ii) गैर-कर राजस्व (Non tax Revenue):

- शुल्क (Fees)
- दण्ड (Fine)
- ब्याज Interest
- लाभांश और लाभ (Dividends and Profits) → सर्वाधिक
- बाह्य अनुदान External Grants आदि।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर (Direct and Indirect Taxes):

प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते है जिनके भार को अन्य लोगों पर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।
दूसरे शब्दों में, जिन लोगों पर ये कर लगाए जाते हैं उन्हे ही उनका भार वहन करना पड़ता है
ये कर लोगों की आय या उनकी संपत्ति या उनके द्वारा किए जाने वाले संपत्तियों के लेन-देन पर लगाए जाते हैं

प्रत्यक्ष कर के कुछ मुख्य उदाहरण निम्न प्रकार दिए जा सकते हैं-

(i) आय कर (Income Tax) :-

केन्द्र सरकार द्वारा लोगों की गैर-कृषिगत आय पर इसे लगाया जाता है इसे PIT (Personal Income tax) भी कहते हैं।

(ii) निगम कर (Corporation Tax) :-

केन्द्र सरकार द्वारा कंपनियों के मुनाफों पर इसे आरोपित किया जाता है
इसे CIT (Corporate Income tax) भी कहते हैं

(iii) पूँजीगत लाभ पर (Capital Gains Tax)

संपत्तियों (जैसे कि मकान, इक्विटी, बॉन्ड) के विक्रय से होने वाले लाभों को पूँजीगत लाभ कहते हैं तथा इन लाभों पर लगाए जाने वाले कर को पूँजीगत लाभ कर कहते हैं यह कर केन्द्र सरकार लगाती है

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR